कुर्बानी के मसाइल

3

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

''अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।''

''अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलामीन! अस्सलातु वस्सलामु अ़ला रसूलिही करीम! वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन।।''

अम्मा बअद!

फ़रमाने इलाही है–

1. अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। (कौसर–02)
2. ऐ नबी (सल्ललाहु अलैहि वसल्लम!) आप कह दीजिये कि मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना व मरना सब ख़ालिस अल्लाह ही के लिये है। (अनआम–162)
3. हर उम्मत के लिये हमने कुर्बानी के तरीके़ मुक़र्रर किये ताकि वह उन चौपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लें, जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। (हज्ज–34)
4. अल्लाह तक न कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और न उसका ख़ुन बल्कि उस तक तुम्हारी परेहज़गारी पहुंचती है। (हज्ज–37)

''कुर्बानी''

यह इब्राहिम अलैहि. के उस अज़ीम कारनामे की यादगार भी है जबकि वह बुढ़ापे की उम्र में भी हुक्मे इलाही का इशारा पाते ही अपने इकलौते बेटे इस्माईल अलैहि. की कुर्बानी (दरबारे इलाही में) पेश कर देते हैं।

यह इब्राहिम अलैहि. की सुन्नत है जिसे अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया में बाक़ी रखा है। इसे नबी सल्ल. ने अपनी सुन्नत भी कहा है।

उर्दू का लफ्ज़ कुर्बानी–कुर्बान से बना है। लग़्वी ऐतेबार से कुर्बान से मुराद ''हर वह चीज़ है, जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल–किया जाये, चाहे ज़बीहा हो या कुछ और। (मिस्बाह उल लुग़ात)

1. मख़नफ़ बिन सलीम रजि. अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–ऐ लोगों! बेशक! हर घर वालों पर हर साल एक कुर्बानी है।
(इब्ने माजा–3125 अबुदाऊद–2788 तिर्मिज़ी–1364)
2. अबु हुरैरा रजि. रिवायत करते हैं, नबी सल्ल. ने फ़रमाया–जिसके पास ताक़त (हैसियत) हो और वह कुर्बानी न करे तो ऐसा शख़्स हमारी ईदगाह के क़रीब भी हरगिज़ न आये। (इब्ने माजा–3123)
3. अता बिन यसार रहमा हुमुल्लाह से मरवी है कि मैंने अबु अय्युब अन्सारी रजि. से पूछा–तुम नबी सल्ल. के दौर में कुर्बानी कैसी करते थे तो उन्होंने कहा–आप सल्ल. के ज़माने में हर आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ़ से एक बकरी कुर्बानी करता था। फिर वह सब उसमें से खाते और खिलाते थे। लेकिन उसके बाद लोग फ़ख़्र करने लगे कुर्बानी में! अब तो यह हाल है जैसे तू देखता है।(तिर्मिज़ी–1352 इब्ने माजा–3147)
4. जाबिर रजि. से रिवायत है– नबी सल्ल. ने फ़रमाया–सात आदमियों में एक गाय और एक ऊंट में सात आदमी शरीक होंगे। (मुस्लिम–2372 अबुदाऊद 2783–84 तिमिर्ज़ी 788)
5. इब्ने अब्बास रजि. से मरवी है– हम नबी सल्ल. के साथ एक सफ़र में थे कि ईदुलजुहा (बक़र ईद) आ गई, तो एक गाय में सात (7) और एक ऊंट में 10 (दस) अफ़राद शरीक़ हुए। (तिर्मिज़ी–789 इबने माजा 3131) इन दोनों (4–5) हदीसों में ऊंट एक में सात लोगों की तरफ़ से और दूसरी में दस लोगों की तरफ़ से मज़कूर है। अहले इल्म ने इस फ़र्क़ को यू दूर किया है कि जिस हदीस में ऊंट भी सात लोगों की तरफ़ से है, वह हज करने वालों की कुर्बानी के साथ ख़ास है और जिस हदीस में ऊंट दस लोगों की तरफ से है, वह आम कुर्बानियों के बारे में

है। कुछ अहले इल्म का यह भी कहना है कि यह अल्लाह तआला की तरफ़ से रूख़सत (छूट) है, ऊंट में सात (7)आदमी भी शरीक हो सकते हैं और दस (10) आदमी भी। (फ़िक्ह उल हदीस–जिल्द 2– सफ़ा–109)

अगर हैसियत हो तो अकेला आदमी भी ऊंट या गाय की कुर्बानीकर सकता है। इसलिए कि आईशा रजि. फरमाती है कि बेशक! रसूल सल्ल. ने हज्जतुल विदा के मौके़ पर आले मुहम्मद की तरफ़ से एक गाय कुर्बान की। (बुखारी–1709 मुस्लिम–2377–5385 इब्ने माजा–3135)

कुर्बानी का सवाब व फ़ज़ीलत

1. आईशा रजि. से मरवी है–नबी सल्ल. ने फरमाया–आदमी ने दस ज़िल्हिज्जा (बक़रीद के दिन) कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह तआला को ज़्यादा पसन्द हो उसके लिये ख़ून बहाने से। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन आयेगा–अपने सींग,खुर व बालों समेत और ख़ून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के पास दर्जा हासिल करता है। (इब्ने माजा–3126 तिर्मिजी–1340)

2. ज़ैद बिन अरक़म रजि. से रिवायत है कि सहाबा ने आप सल्ल. से अर्ज़ किया कि इन कुर्बानीयों से क्या फ़ायेदा है ? तो आप सल्ल. ने फ़रमाया–यह तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहि की सुन्नत है। सहाबा रजि. ने कहा फिर इनमें हमें क्या मिलेगा? आप ने फ़रमाया–जितने बाल कुर्बानी की बकरी में होंगे हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी और भेड़ में या रसूल अल्लाह सल्ल.! तो आप सल्ल. ने फ़रमाया–भेड़ में भी हर एक बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। (इब्ले माजा–3127)

"कुर्बानी करने वाले के लिये हिदायाते नबी सल्ल."

1. बाल और नाखून न काटना–नबी सल्ल. ने फ़रमाया– जब तुम ज़िल्हिज्जा का चांद देख लो और तुम में से कोई शख़्स कुर्बानी का इरादा भी रखता हो तो वह अपने बाल और नाखुन न काटे। (मुस्लिम–5410,11,12 अबुदाऊद–2767 इब्ने माजा–3149)

एक रिवायत में है कि वह अपने जानवर को ज़िब्ह कर लेने तक अपने बाल और नाख़ुन न काटे। (अबुदाऊद–2767)

जो शख़्स कुर्बानी करने का इरादा करे, वह इन दस (10) दिनों में अगर अपने बालों या नाख़ुनों में से कुछ काट लें तो उस पर कोई फ़िदया नहीं। लेकिन वह अल्लाह से तौबा करे क्योंकि ऐसा करके उसने नबी सल्ल. के हुक्म की ना फ़रमानी की। (मुग़नी–362/13) बहवाला कुर्बानी के मसाइल

जो कुर्बानी की हैसियत न रखे तो वह ईद की नमाज़ के बाद नाख़ुन काट ले, बाल कटवाले, मूंछ तराश ले और ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ कर ले तो यही अल्लाह के नज़दीक उसकी कुर्बानी है। (अबुदाऊद–2765 नसाई 4371)

2. अपने हाथ से ज़िब्ह करना–आईशा रजि. से मरवी है– कि नबी सल्ल. ने मेढ़े को पकड़ कर लिटाया फिर ज़िब्ह किया। (मुस्लिम 5385 अबुदाऊद–2768)

अनस रजि. से मरवी है कि आप सल्ल. ने दोनो (जानवरों) को अपने दस्ते मुबारक (हाथ) से ज़िब्ह किया। (इब्ने माजा–3120 बुख़ारी–5554 मुस्लिम–5382 अबुदाऊद–2769 तिर्मिज़ी–1341)

3. मज़दूरी में कुर्बानी का गोश्त न देना–

अली रजि. से मरवी है– मुझे नबी सल्ल. ने हुक्म दिया कि मैं आपके ऊटों के पास ज़िब्ह के वक़्त मौजूद रहूँ और उनके चमड़ा (खाल) और पालान सदक़ा कर दूं और क़साई को उजरत (मज़दूरी) में इनमें से कुछ न दूं। बल्कि मज़दूरी अपने पास से दें। (बुख़ारी–1716–17 मुस्लिम 2368 इब्ने माजा 3099)

4. चमड़े और गोश्त से कुछ न बेचना–

हज के मौक़े पर दी जाने वाली और आम कुर्बानी का गोश्त न बेचो बल्कि ख़ुद खाओ और सदक़ा करो। उन की खालें भी मत बेचो। (खालें भी सदक़ा कर दो या) उससे ख़ुद फ़ायेदा उठाओ। इस हदीस को इमाम अहमद ने क़तादा बिन नौमान से रिवायत किया है।

(मुसनद अहमद–जिल्द 4 सफ़ा–15)

5. नमाज़े ईद के बाद कुर्बानी करना–

(A) जिसने ईद की नमाज़ (पढ़ने) से पहले ही कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह कर दिया उसे चाहिये कि उसकी जगह दूसरा जानवर ज़िब्ह करे।(मालिक–1128 इब्ने माजा 3151–52 बुख़ारी–985,5500 मुस्लिम–5359,5376)

(B) अबु बुर्दा रजि. ने ईद की नमाज़ से पहले ही कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह कर दिया तो आप सल्ल. ने फ़रमाया–यह बकरी तो महज़ (बस) गोश्त है।(कुर्बानी नहीं) जिसने नमाज़ से पहले जानवर ज़िब्ह कर दिया, उसे उसने सिर्फ़ अपने लिये ज़िब्ह किया और जिसने नमाज़े ईद के बाद जानवर ज़िब्ह किया उसकी कुर्बानी अदा हुई और उसने मुसलमानों की सुन्नत (तरीक़े) को पा लिया। (रावी–बरॉ बिन आज़िब रजि.) (बुख़ारी–5556 मुस्लिम–5364)

6. ज़िब्ह का मसनून तरीक़ा

ज़िब्ह करने का तरीक़ा मालूम और जाना–पहचाना है कि गर्दन की बालाई और जबड़ों के बीच हलक़ में पाई जाने वाली रगें काटी जाती है।

नेहर ऊंट के साथ ख़ास है! इसका सुन्नत तरीक़ा यह है कि ऊंट को क़िब्लारू खड़ा कर के उसकी अगली बांयी टांग और रान को आपस में बांध दिया जाये और उसे तीन टांगो पर खड़ा कर के नेहर किया जाये।

नेहर यह है कि तक्बीर पढ़कर ऊंट के सीने और गर्दन के बीच वाली जगह में नेज़ा या कोई तेज़धार हथियार (आला) मारा जाये जिससे ऊंट की रग कट जाये।

तुम उन पर खड़े होने की हालत में ही अल्लाह का नाम लो। हज्ज–36

नबी सल्ल. ब वक्ते ज़िब्ह व नेहर ''बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ते थे। (बुख़ारी–1712,5554 इब्नेमाजा–3120)

आईशा रजि. रिवायत करती हैं कि जब आप सल्ल. ने कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह करने का इरादा किया तो मुझे हुक्म दिया कि आईशा! छुरी लाओ। फिर फ़रमाया इसे पत्थर पर खूब तेज़ करो! वह कहती हैं– मैंने ऐसा ही किया। फिर आप सल्ल. ने छुरी ली, मैंढ़ा पकड़ कर लिटाया और उसे ज़िब्ह किया।(मुस्लिम–5385 अबुदाऊद–2768)

एक रिवायत के मुताबिक़ जानवर ज़िब्ह या नेहर करने से पहले सूरह अनआम की 79,162 और 163 नम्बर की आयतों का तिलावत करना मुस्तहब है।

इन आयात का तर्जुमा यह है–मैंने अपना मुंह उस की तरफ़ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया है। और मैं मुश्रिक नहीं हूं।(79) मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना व मरना सब अल्लाह ही के लिये है, जो सारे जहान का पालनहार है।(162)

उसका कोई शरीक नहीं और मुझे यही हुक्म हुआ है और में सबसे पहले उसका फ़रमा बर्दार (मुसलमान) हूं।(163) (इब्ने माजा 3121 अबु दाऊद–2771)

बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बर (के साथ)''अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी'' यानी ऐ अल्लाह मुझ से कुबूल फ़रमा। कहना मुस्तहब है। (शरह–नौवी)

7. कुर्बानी के जानवर

ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, बकरा–बकरी और मेढ़ा–भेड़ (इन जानवरों) की कुर्बानी पर तमाम अहले इल्म का इत्तेफ़ाक है। इर्शादे बारी तआला है–

''ये आठ नर व मादा हैं–दो भेड़ की क़िस्म से और दो बक़री की क़िस्म से। (अनआम–143)

और दो ऊंट की क़िस्म से हैं और दो गाय की क़िस्म से। (अनआम–144)

इन आठ जानवरों में चूंकि भैंस या भैंसे (पाड़े) का ज़िक्र नहीं है। न ही कुरआन व सुन्नत में इस बारे में कोई सराहत मिलती है, इसलिए इसकी कुर्बानी के जवाज़ में फुक्हा का इख़्तेलाफ़ है। कोई इसकी कुर्बानी को जाइज़ कहता है और कोई जाइज़ नहीं मानता।

उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी ने लिखा है कि ज़्यादा एहतियात तो इसी में है कि जिन जानवरो की कुर्बानी सुन्नत से साबित है, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाये और अगर कोई शख़्स भैसे (पाडे) की कुर्बानी के बारे में फुक्हा की राय जवाज़ से मुतमइन हो और (इनकी) कुर्बानी करे तो वह भी क़ाबिले मलामत नहीं है। (सलाहउद्दीन युसुफ–ब हवाला–मसाइल–कुर्बानी व ईदैन)

अली रजि. से मरवी एक हदीस मिलती है कि ''भैंसे की कुर्बानी सात अफ़राद और उनके घर वालों की तरफ़ से सही है। (अल फिरदोस 2472) इस किताब की अक्सर रिवायात जईफ़ या मौजू है। (मसाइल–कुर्बानी व ईदैन) हदीस–जईफ़ है।

नबी सल्ल. ऐसा मेढ़ा कुर्बानी किया करते थे जो फ़र्बा और मोटा–ताज़ा होता।

2. एक रिवायत में है जब आप सल्ल. को ऊटं न मिलता तब आप सल्ल. कोई दूसरा जानवर (कुर्बानी में) ज़िबह करते थें। (निसाई–4373)

4. अली रजि. से मरवी है कि नबी सल्ल. ने हमें हुक्म दिया कि हम (कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त) उसकी आंखों और कानों को अच्छी तरह देख लें। (कि उनमें कोई ऐब तो नहीं) (नसाई–4382)

5. बरॉ बिन आज़िब रजि. रिवायत करते हैं कि नबी सल्ल. से पूछा गया कि कुर्बानी वाले जानवरों में किन ऐबों से बचना ज़रूरी है? तो आप सल्ल. ने उंगलियों से इशारा करते हुए फ़रमाया ''चार ऐबों से''

1. लंगड़ा– जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो।
2. काना– जिसका काना पन ज़ाहिर हो।
3. बीमार– जिसकी बीमारी ज़ाहिर (नुमांया) हो।
4. लाग़िर व कमज़ोर– कि जिसके जिस्म में चर्बी और हड्डी में गूदा न रहा हो।

(तिर्मिज़ी–1344 इब्ने माजा 3144 अबुदाऊद–2778)

6. अली रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने हमें ऐसे जानवर की कुर्बानी देने से मना किया जिसका आधा या आधे से ज़्यादा सींग टूटा हुआ और कान कटा हुआ हो। (अबुदाऊद 2781 तिर्मिज़ी 1345 इब्ने माजा 3142)

8. ख़स्सी जानवर का हुक्म

नबी सल्ल. कुर्बानी के लिये दो ऐसे मेंढ़े ख़रीदते जो बड़े कद वाले, मोटे–ताजे, सींगो वाले, काले व सफ़ेद रंग के और ख़स्सी होते।

(बैहक़ी, इब्ने हब्बान) (हाफ़िज हैशमी और शौकानी ने ''हसन'' कहा है।)

आईशा रजि. और अबु हुरैरा रजि. से रिवायत है कि ''नबी सल्ल. ने– ''ख़स्सी जानवर की कुर्बानी दी।'' (इब्ने माजा 3122 हसन)

9. हामिला जानवर का हुक्म

हामिला जानवर की कुर्बानी जाइज़ है। इर्शादे नबी सल्ल. है– ''जिसका हुक्म बयान करने से ख़ामोशी इख्तियार की गई हो, वह माफ़ है।'' (अबुदाऊद–3802 तिर्मिज़ी 1562)

10. जानवरों की उम्र व दांत

(1)ऐसा जानवर जाइज़ नहीं जो इस क़दर कमजोर हो कि उसके जिस्म पर चर्बी और हड्डी में गूदा न रहा हो। (अबुदाऊद–2778 इब्नेमाजा–3144 तिर्मिज़ी–1344)

(2.)जाबिर रजि. से रिवायत है–नबी सल्ल. ने फ़रमाया–सिर्फ़ दो दांते जानवर की ही कुर्बानी दो! सिवाये इसके कि दो दांते जानवर का हासिल करना किसी वजह से मुश्किल हो जाये! तब भेड़ का जज़्आ (ऐसा मेंढ़ा जो अभी दो दांता न हुआ हो) वह भी कुर्बानी किया जा सकता है। (मुस्लिम–5377 अबुदाऊद–2773 नसाई 4384 इब्ने माजा–3141)

यह शर्त सिर्फ़ ऊंट, गाय व बकरी के लिये है, जबकि जम्हूर अहले इल्म के नज़दीक भेड़ व मेंढ़े का दो दांता होना जरूरी नहीं बल्कि वह जज़्आ (खीरा) भी कुर्बानी किया जा सकता है (अबुदाऊद–2775) जज़्आ (ख़ीरा) एक साल या उससे ज़्यादा उम्र का होता है। (अ.हई हनफ़ी रह.) उलेमाए अहनाफ़ के नज़दीक फुक़्हा की इस्तेलाह में 6 माह के दुम्बे या भेड़ (छतरे) को भी जज़्आ कहा जाता है।

11. कुर्बानी के गोश्त की तक़्सीम

इब्ने अब्बास रजि. से मरवी एक रिवायत ''अल मुग़्नी'' में है– कि एक तिहाई अपने घर वालों को खिलाएं, एक तिहाई पड़ौसी मसाकीन व फुक्रा को दें और तीसरा एक तिहाई आम फ़कीरों पर सदक़ा कर दें।

कुर्आन में है– कुर्बानी के गोश्त से ख़ुद खाओ, ग़ैरत मंद मुहताजों को खिलाओ और मांगने वालों (फ़क़ीरों) को भी। (हज्ज–36)

12. ग़ैर मुस्लिम के लिये कुर्बानी का गोश्त

(कुछ) अहले इल्म के नज़दीक कुर्बानी का गोश्त गै़र मुस्लिम को दिया जा सकता है क्योकि (खुददार मुहताजों को खिलाओ–और सवाली (मांगने वालों) को भी दो।) (हज्ज–36) में हुक्म आम है जो गै़र मुस्लिमों को भी शामिल है।

13. गोश्त की मुददत

मुस्तहब तक्सीम के मुताबिक़ अपने हिस्से में जो तीसरा हिस्सा आए उसमें से ईद के दिन, अय्यामे तशरीक़ (11–12–13 ज़िल्हज्ज) में और बाद तक भी खाया और रखा जा सकता है।

नबी सल्ल. का इर्शाद है ''खुद खाओ, ज़ख़ीरा कर लो और सदक़ा कर दो।

(बुख़ारी–1719 मुस्लिम–5396 मालिक–1131 इब्ने माजा–3159)

14. औरत का जबीहा

औरत भी कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह कर सकती है।

(1) अबु मूसा अशअरी रजि. ने अपनी बेटियों को हुक्म दिया कि वह अपने हाथों से कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह करें। (बुख़ारी–जिल्द 7 पेज 219)

(2) एक औरत ने पत्थर से एक बकरी को ज़िब्ह किया! यह वाकि़आ आप सल्ल. को बतलाया गया ओ आप सल्ल. ने इसमें कोई हरज नहीं समझा। (बुख़ारी में है कि आप सल्ल. ने उसे खाने की इजाज़त दी।) (बुख़ारी–5501,5504 इब्ने माजा 3182)

15. किसी दूसरे (और) की कुर्बानी ज़िब्ह करना

जाबिर रजि. से रिवायत है–नबी सल्ल. ने अपने कुछ ऊंटों को अपने हाथ से नेहर किया और बाक़ी ऊंटों को अली रजि. ने नेहर किया। (इससे साबित होता है कि किसी और से भी कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह या नेहर कराया जा सकता है।) (नसाई–4425)

16. कुर्बानी के दिन

(a) अल्लाह का नाम ज़िक्र करें, मालूम दिनों में (हज्ज–28) इब्ने उमर रजि. इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि– ये मालूम दिन तीन हैं, ईद के दिन के बाद। (इब्ने कसीर)

(b) इब्ने अब्बास रजि. फ़रमाते हैं कि मालूम दिन ईद का दिन है और तीन दिन उसके बाद हैं। (फ़त्ह उल बारी–शरह बुख़ारी)

(c) अब्दुर्रशीद नौमानी हनफ़ी फ़रमाते है–मालूम दिन से मुराद अय्यामें तशरीक़ हैं और यह ज़िल्हज्जा की 11–12–13 तारीखें हैं। (बहवाला–कुर्बानी के मसाइल (लुग़ात अल कुरआन जिल्द 1 पेज 313)

(d) जाबिर रजि. से रिवायत है–फ़रमाया नबी सल्ल. ने ''मिना के सब दिन कुर्बानी का वक़्त है। (10–11–12–13 तक)

(नील अल अवतार–बहवाला–फ़िक्ह उल हदीस)

(e) अबु सईद खुदरी रजि. से रिवायत है, फ़रमाया नबी सल्ल. ने– '' तशरीक़ के सब दिन कुर्बानी के दिन हैं।'' (दारक़त्नी–जिल्द। पेज–544)

(f) अबु हुरैरा रजि. बयान करते हैं, नबी सल्ल. ने फ़रमाया– ''तशरीक़ के सब दिन कुर्बानी के हैं। (बैहक़ी)

(g) अनस रजि. ने फ़रमाया कि ''कुर्बानी ईद के दिन है और दो दिन इसके बाद।'' (महली)

(h) इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है कि '' कुर्बानी के दो दिन हैं, ईद के दिन के बाद। '' (जोहर अल नक़ी) (यह दोनो (g+h) रिवायतें मुहदिदसीन के नज़दीक ज़ईफ़ हैं।)

हासिल कलाम यह है कि–

दलील और अमल के ऐतेबार से दो मज़हब राइज और मअरूफ़ हैं।

(1) कुर्बानी सिर्फ़ बारह (12) तारीख़ तक जाइज व सही है।

(यह अबु हनीफ़ा रह., मालिक रह. और अहमद रह. का मज़हब है।)

(2) कुर्बानी तैरह (13) तारीख़ तक जाइज़ व सही है।

(यह मज़हब–शाफ़ई रह. हसन बसरी रह. और अहले हदीस का है।)

(यहां यह बात ध्यान में रहे कि– ईद के दिन की कुर्बानी अफ़ज़ल, आला व ऊला है और नबी सल्ल. की दाइमी सुन्नत और ज़िन्दगी का मअमूल रहा है।)

17. ज़बीहा के पेट का बच्चा

(a) अबु सईद खुदरी रजि. बयान करते हैं कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''पेट में मौजूद बच्चे का

जिब्ह उसकी मां का जिब्ह करना है।''(मुसनद अहमद 11343 इब्ने हब्बान–5889 सही)

(b) अबु सईद रजि. बयान करते है कि हमने अर्ज़ की–या रसूल अल्लाह सल्ल.! हम ऊंटनी, गाय या बकरी को जिब्ह करते हैं तो उसके पेट में बच्चा पाते हैं। हम उसे फैंक दें या खा लें? तो आप सल्ल.ने फ़रमाया–अगर पसन्द करो तो उसको खालो क्योंकि उसका जिब्ह उसकी मां का जिब्ह करनाहै (अबुदाऊद–2803–04सही अलबानी रह.)

(c) अबु दाऊद की इस हदीस से यह भी पता चला कि जिब्हा शुदा मां के पेट से निकलने वाले मुर्दा बच्चे का खाना ज़रूरी नहीं है।

(d) अगर जिब्हा शुदा मां के पेट से निकलने वाला बच्चा जिन्दा हो तो उसका जिब्हा करना ज़रूरी है। क्योकि वह एक मुस्तकिल जान है।

18. मय्यत को कुर्बानी मे शरीक करना

आईशा रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने मेंढा जिब्हा करते वक्त फरमाया– अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद सल्ल. की तरफ से कुबूल फरमा।(मुस्लिम 5385 अबु दाउद 2768) इस हदीस की रोशनी में मय्यत को कुर्बानी में शरीक किया जा सकता है।

वजाहतः– जिस कुर्बानी में मय्यत को जिन्दा लोगों के साथ शामिल किया जाए उसका गोश्त कुर्बानी करने वाले खुद भी खाये और मिस्कीनों को भी खिलायें

19. मय्यत की तरफ से हमेशा हर साल कुर्बानी

बआज़ उलेमाये उम्मत की राय में मय्यत की तरफ से हमेशा (हर साल) कुर्बानी करना दुरूस्त है।

उनकी दलील हे कि–अली रजि. ने दो मेंढों की कुर्बानी की एक मेंढा नबी सल्ल. की तरफ से और एक अपनी तरफ से। और फरमाया मुझे रसूल सल्ल. ने हुक्म दिया कि में उनकी तरफ से कुर्बानी किया करूं।(लिहाजा) में हमेशा नबी सल्ल. की तरफ से कुर्बानी करता रहूंगा।(अबु दाउद 2766 तिर्मिजी 1342)

अली रज़ि से मरवी इस हदीस को कुछ मुहददेसीन ज़ईफ कहते है जबकी हाकिम, ज़हबी और शेख अहमद शाकिर ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है।

(a) इब्ने तिमिया रह. लिखते है कि ''जिस तरह मय्यत की तरफ से हज और सदका करना जाइज़ है उसी तरह उसकी तरफ से कुर्बानी करना दुरूस्त है। मय्यत की तरफ से कुर्बानी घर में की जायेगी। उसकी कब्र पर ना तो कुर्बानी का जानवर जिब्हा करना जाइज़ है ओर ना ही कोई और जानवर (मजमुआ अल फतावा 306/26) बहवाला मसाइल कुर्बानी।

(b) अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रह. फरमाते है किः– ''मेरे नज़दीक यह बेहतर है कि मय्यत की तरफ से सदका दें और कुर्बानी ना करें। और अगर मय्यत की तरफ से कुर्बानी करें तो खुद उसमे से कुछ न खाये। उसका सारा गोश्त सदक़ा कर दे।

(हाशिया तिर्मिजी जिल्द 1 पेज 563)

20. कर्ज लेकर कुर्बानी करना

अगर किसी की हेसियत जानवर खरीदने की न हो तो उसके लिये कुर्बानी करना जरूरी नहीं। अल बत्ता अहले इल्म का यह कहना है कि ऐसा शख्स अगर उसके कारोबार या नौकरी से उसे बाद में पैसा (रकम) मिल जाने की क़वी उम्मीद हो तो कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी कर सकता है।(इब्ने तिमिया रह. 305/26) हवाला–म. कुर्बानी व इदैन।

''व सल्लल लाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन! बि रहमति–क या अरहमर्राहेमीन।'' ''व आखिरू दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन।''

अहले इल्म हज़रात से दरर्खास्त है कि कही कमी या ग़ल्ती पायें
तो इस्लाह फरमायें। शुक्रिया!

वास्सलाम!

मुहम्मद सईद

मो.9214836639